जुआ, सिगरेट निर्माण में एफडीआई को मंजूरी नहीं

नीति

लखनऊ, विशेष संवाददाता। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेश करने वाली बड़ी विदेशी कंपनियों को राज्य सरकार ज्यादा सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराएगी। लाटरी, जुआ, चिट फण्ड, रियल इस्टेट , सिगार, सिगरेट निर्माण में एफडीआई की अनुमति नहीं होगी।

औद्योगिक विकास विभाग ने बुधवार को फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून- 500 प्रोत्साहन नीति-2023 का शासनादेश जारी कर दिया। इस नीति के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के भूमि आवंटन मूल्य पर अपफ्रंट लैंड सब्सिडी दी जाएगी। पश्चिमांचल और मध्यांचल में अपफ्रंट लैंड सब्सिडी की दर 75 प्रतिशत होगी। वहीं बुंदेलखंड और पूर्वांचल में इसकी दर 80 प्रतिशत होगी। प्रोजेक्ट चालू होने तक निवेशक को मिली जमीन प्राधिकरण के पास बंधक रखनी होगी। तय समय में अगर उत्पादन चालू नहीं हुआ तो 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लैंड सब्सिडी वापस करनी होगी। लैंड सब्सिडी मंजूर करने के लिये आईडीसी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। इसकी संस्तुतियों को कैबिनेट से मंजूरी अनिवार्य होगा।

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य

राज्य सरकार अगले दो से तीन साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सकल उत्पाद को दोगुना करेगी। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के योगदान को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तीन साल के दौरान 9435 करोड़ रुपये रहा है।